सिफारिशों का सार

औषधि क्षेत्र से संबंधित प्रणालीगत विषयों के संदर्भ में

1. निर्धारितियों, जिनको विभिन्न कर प्रोत्साहन अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए हैं, का क्षेत्रवार डाटा सीबीडीटी बनाए।

   (पैराग्राफ 2.3)

   मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ लेने वाले करदाताओं की बडी संख्या को ध्यान में रख कर यह एक यथातथ्य रीति में क्षेत्र वार विभिन्न कर प्रोत्साहनों से संबंधित डाटा को अलग करना/पहचान करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्धारितियों, जो अनेक व्यवसायों में लगे हैं, द्वारा विवरणी में दायर कारोबार कोड से मुख्यतया डाटा लिया जाता है और यह सम्भावना है कि निर्धारिती गलत कोड भर सकता है। तथापि कारोबार कोड में संशोधन विचाराधीन है।

   लेखापरीक्षा का विचार है कि क्षेत्र वार डाटा का रखरखाव भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा कर योजना और क्षेत्र विशेष नीति के लिए आवश्यक है। इसलिए क्षेत्रवार डाटा की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु आईटीआर से संबंधता को सुगम करने के लिए पैन ब्यौरे लेने के लिए डीएसआईआर तथा एनपीपीए से अनुरोध किया जाए।

2. मंत्रालय एक तन्त्र विकसित करे ताकि डीएसआईआर द्वारा विधिवत अनुमोदित फार्म 3सीएम/3सीएल की प्रति आईटीआर के साथ निरपवाद रूप से संलग्न की जाए। मंत्रालय आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख से पहले तक डीजीआईटी (छूट) को डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित फार्म 3सीएल अग्रेषित करने की तारीख भी निर्धारित करे।

   (पैराग्राफ 2.4)

   मंत्रालय ने डीएसआईआर द्वारा आरएण्डडी व्यय के अनुमोदन की प्रणाली को स्पष्ट करते हुए बताया (जनवरी 2015) कि वर्तमान प्रणाली कम्प्यूटरीकृत युग से पूर्व डिजाइन की गई थी और मामले की पुन: जांच करने की सहमति जताई।

मंत्रालय के उत्तर से सहमत होते हुए लेखापरीक्षा ने आगे सुझाव दिया कि डीजीआईटी (छूट) के पास उपलब्ध डीएसआईआर का अनुमोदन आईटीआर से जोड़े जाने के लिए माना जाना चाहिए।

3. सीबीडीटी ऐसे कार्य ठेकों, जहां विनिर्माण प्रक्रिया का सम्पूर्ण नियंत्रण निर्धारिती कम्पनियों में निहित है, को अधिनियम की धारा 194सी की परिधि के अन्तर्गत लाने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 2.6)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि सीएजी के सुझाव के कार्यान्वयन को धारा 194सी में विधायी परिवर्तन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह सम्भावना है कि कुछ निर्धारिती कार्य ठेका की परिभाषा का लाभ ले सकते है जैसी धारा 194सी में परिभाषित है। उन्होंने आगे बताया कि 2015-16 की बजटीय कवायद के दौरान जांच के लिए टीपीएल प्रभाग को अलग से एक संदर्भ किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि औषधि क्षेत्र कि कम्पनियां ठेका विनिर्मताओं को किए गए भुगतानों पर टीडीएस काटती है । इसलिए मंत्रालय इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित निर्णय ले।

4. आईटीडी अन्य कर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारण से सम्बन्धित सूचना संग्रहीत/प्राप्त करने और कर आधार को और गहरा करने तथा कर जाल में सही आय को लाने के लिए एक तन्त्र विकसित करे। वैकल्पिक रूप से निर्धारिती, जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन टर्नोवर आधारित कटौतियों का लाभ ले रहा है, से फार्म ईआर 4 में अनिवार्य रूप से एआईआर की मांग की जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 2.9)

औषधि क्षेत्र से संबंधित अनुपालन मामलों के संदर्भ में

5. चिकित्सक के नमूनों सहित फ्रीबीज के रूप में माने गए खर्चों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सीबीडीटी निर्देश जारी करे। इसके अलावा बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से फ्रीबीज के स्वरूप में खर्चों के ब्यौरे देने के लिए ऐसे खर्चों की कटौती का दावा करने वाले निर्धारितियों के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तन्त्र विकसित करे।

(पैराग्राफ 3.1.1-3.1.3)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि फ्रीबीज किससे बनता है 10 दिसम्बर 2009 को यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचारशास्त्र) विनियम 2002 के मार्ग निर्देशों में निर्धारित है और इसलिए कथित मार्ग निर्देशों में कोई परिवर्तन/वृद्धि/विलोपन केवल उस निकाय द्वारा किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि प्रत्येक मामलें में विषय उसके गुणदोष के आधार पर एओ द्वारा निर्णीत किया जाता है और उपचारी कार्रवाई एओज के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आईटीआर में फ्रीबीज की प्रकृति में खर्चों के ब्यौरे बनाना इसको भारी भरकम बना देगा।

लेखापरीक्षा का मत है कि इस संबंध में सीबीडीटी निर्देशों में स्पष्टता की कमी के कारण एओ भिन्न विचार ले रहे हैं इसलिए मंत्रालय उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि एओ भविष्य में सुसंगत कार्रवाई कर सके।

6. सीबीडीटी इस संबंध में विवादित तथा शेष विविध व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए फ्रीबीज के प्रति खर्चों के अस्वीकरण की प्रभावी तारीख स्पष्टतया निर्दिष्ट करे।

(पैराग्राफ 3.1.1)

मंत्रालय ने बताया कि सीबीडीटी का परिपत्र दिनांक 01 अगस्त 2012 प्रकृति में मात्र स्पष्टकारी था और एओ एमसीआई के विद्यमान/संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर फ्रीबीज की कोई अस्वीकृति करते हैं और इस मामले में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

लेखापरीक्षा का मत है कि परिपत्र में प्रभावी तारीख का अभाव एओज को भिन्न विचारों का और अन्ततः मुकदमों का कारण बन सकता है।

इसलिए तारीख जिससे सीबीडीटी के निर्देश प्रभावी होंगे, का प्रत्येक निर्देश/परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए अर्थात भावी अथवा पूर्वव्यापी।

7. मंत्रालय ऐसे आबंटन के आधार और कार्यचालन के साथ-साथ सभी सामान्य खर्चों अथवा भारित कटौतियों का आबंटन दर्शाते हुए या तो विवरणी के साथ अथवा निर्धारण अभिलेखों के साथ दाखिल किए जाने के लिए एक मानक फार्म लागू करे।

(पैराग्राफ 3.2.1)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि यह एक अनुपालन मामला है और प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की जानी है। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान एओ ऐसे सभी ब्यौरे मांगने के लिए शक्ति सम्पन्न हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा का अभी भी यह मत है कि निर्धारण अभिलेखों में सामान्य खर्चों के आबंटन का आधार दर्शाने की आवश्यकता है।

8. मंत्रालय सामान्यतया डीएसआईआर की शर्तों और आरएण्डडी खर्चों की पात्रता और उनकी मात्रा देखने के लिए विशेष रूप से निर्धारण के समय पर निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी के साथ आरएण्डडी सुविधा के लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण की शर्तों का पालन करे।

(पैराग्राफ 3.2.5)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि आयकर कार्यवाइयों के दृष्टिकोण से खर्चों के आबंटन आदि जैसी सूचना एकत्र करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के वर्तमान प्रपत्र के संशोधन हेतु डीएसआईआर से परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि दाखिल करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की ई-समर्थकारी की व्यवहार्यता की भी आईटीडी द्वारा जांच की जाएगी।